न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	7/25	2025/164	04.06.2025	सरकार बनाम हेमराज सैनी	26.02.2026	1 लगायत6

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 07/2025 (2025/164)

उनवान प्रकरण

1. वेद प्रकाश पूर्णिया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

–आवेदक

बनाम

1. हेमराज सैनी पुत्र गिरोज प्रसार सैनी (फर्म मालिक) मेसर्स प्रिंस किराना स्टोर, मैन मार्केट पिप्लाई बामनवास सवाईमाधोपुर निवासी पिपलाई बामनवास सवाईमाधोपुर। –अभियुक्तगण

<u>जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (1)/52, 58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011</u>

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अन्तर्गत दिनांक 27.10.2024 को 2.00 पी एम पर मैसर्स प्रिंस किठना स्टोर मैन मार्केट पिपलाई, बामनवार, सवाईमाधोपुर पर पहुंचा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होने चाय अनुज्ञापत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु **Desi Ghee (Prabhas Brand)** की पैकिट्स में रखे हुए **Desi Ghee (Prabhas Brand)** 500 मि०ली० के पेकिट्स में मिलावट का अंदेशा होने पर **Desi Ghee (Prabhas Brand)** 500 मि०ली के पैकिंग के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

04 पैकिट्स को खरीद उसकी कीमत 800/– रुपये विक्रेता श्री हेमराज सैनी को नगद अदाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान बच्चू सिंह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए. की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री हेमराज सैनी ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म स 5ए की एक प्रति विक्रेता हेमराज सैनी को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म स 5ए एवं फर्द रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Desi Ghee (Prabhas Brand)** को गूल ही लेकर मेरे द्वारा 04 नमूना भाग तैयार कर तथा 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच 3469 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं एच 3469 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील वपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की छः प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म स. 6 की प्रत्ति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07.41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1223 दिनांक 06.12.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जाच रिर्पोट. स. एलएस/4763/एक्ट/2024/4557 दिनांक 25.11.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Desi Ghee (Prabhas Brand) Substandard & Contravenes** होना पाया गया है। जाँच रिपोर्ट एवं पंत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ **Desi Ghee (Prabhas Brand) Substandard & Contravenes** का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की सम्यक् रूप से तामिल होने के बाबजूद भी अभियुक्तगण उपस्थित नहीं होने के कारण प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का निस्तारण हेतु गुणावगुण अनुसार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं ने खाद्य पदार्थ **Desi Ghee (Prabhas Brand) Substandard & Contravenes** का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 में निर्धारित है।

हमने प्रार्थी पक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जाच रिर्पोट. स. एलएस/4763/एक्ट/ 2024/4557 दिनांक 25.11.2024 निम्नानुसार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु.नं0 07/25 (2025/164) सरकार बनाम हेमराज सैनी

Government of Rajasthan
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY,JAIPUR, (RAJASTHAN)
Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004
FORM VII A
Test Report of the Food Analyst
[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)].

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर

NABL TC 8346

Report No. L.S. / 4763 / Act / 2024 / 4551 Date: 25-11-2024

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Ved Prakash Purviya, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Ghee (Prabhas Brand)" bearing Code number and Serial number H-3469 Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer of Sawai Madhopur area on 28-10-2024 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelope by hand.

I found the sample to be "Dairy Products and Analogues" falling under Regulation No. 2.1.8 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 20-11-2024 to 25-11-2024 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-
(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact company packed hard paper box packing of 500ml.
(2) Physical appearance : - Yellow coloured semi solid fat. On melting it becomes liquid.

Sl.	Quality Characteristics.	Nature of method of test used	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder. (b) As per label declaration for Proprietary food.
	Butyro refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.3:2016	52.7	40.0 to 44.0
2.	Reichert value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.5:2016	5.83	Minimum 24.0
3.	Moisture.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 3.2:2016	0.03%.	Max. =0.5%.
4.	Polenske value	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.5:2016	1.87	0.5 -2.0
5.	Baudouin test.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.6:2016	Negative	Should be negative.
6.	Test for Mineral oil.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILK PRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.7:2016	Negative.	Should be negative.
7.	Added colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.0:2016:2016	Absent.	Absent.
8.	Test for foreign fat	Fatty acid profile by method AOAC 996.06 GC-FID.	Foreign Fat Present (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee).	Foreign Fat Absent (Fatty acid profile of sample match with the fatty acid profile of ghee)

The Fatty acid profile of product indicates the presence of foreign fat.

Opinion- The sample of "Ghee (Prabhas Brand)" bearing Code No. and Sr. No. H-3469 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. This sample also Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 due to presence of foreign fat.

Signed this 25th day of November 2024

Food Analyst
(Authorized Signatory)
SHUCHITA AGRAWAL
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan

*** End of Report ***

Note : The results relate only to the item tested.

A Butyro-refractometer (BR) reading of 52.7 for ghee at 40°C is high and indicates likely adulteration. Pure cow or buffalo ghee typically has a BR reading between 40.0 and 45.0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Analysis of 52.7 BR Reading
Significance: A higher BR reading indicates the presence of oils with a higher refractive index, typically vegetable oils or animal body fats.
Adulteration Indicator: Research shows that pure cow ghee generally ranges from 41.1–42.2 and buffalo ghee from 40.2–41.2. A reading of 52.7 is well outside these standard ranges, suggesting the addition of substances like soyabean oil (which can raise readings significantly) or other fats.
Next Steps
Temperature Correction: Ensure the reading was taken at 40°C. If not, the value must be corrected.
Additional Tests: Perform further tests to confirm, such as the Baudouin test (for sesame oil/vanaspati) or laboratory analysis for fatty acid composition.
Quality Control: Genuine ghee should consistently fall within the 40–45 range at
A reading of 52.7 is indicative of poor-quality or adulterated ghee.

A Reichert-Meissl (RM) value of 5.83 in ghee is extremely low and indicates severe adulteration. Pure cow ghee generally shows an RM value between 28 and 32, while buffalo ghee is typically around 32.
Key Implications of a 5.83 RM Value:
High Adulteration: Such a low value suggests the ghee has been heavily adulterated with foreign fats, such as vegetable oils (e.g., palm oil) or animal body fats.
Regulatory Failure: According to FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) regulations, the RM value for ghee should generally not be less than 28.
Composition: A value of 5-12 is considered extremely low, signaling that the sample is almost entirely, or heavily blended with, non-milk fat.
The Reichert-Meissl value measures the amount of water-soluble, steam-volatile fatty acids (chiefly butyric and caproic acids) in a fat. Because milk fat contains a high amount of these acids compared to vegetable oils or animal body fats, a low RM value is a reliable indicator of non-purity.
उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Desi Ghee (Prabhas Brand) Substandard & Contravenes** का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ **Desi Ghee (Prabhas Brand) Substandard & Contravenes** का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 के तहत जुर्माना राशि 1,00,000 रूपये (अक्षरे–एक लाख रूपये), के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% **STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE** .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, **RAS**)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.03.12 10:07:41 IST
Reason: SelfAttested